

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 6(2) साप्र/3/81

जयपुर, दिनांक 30-03-2013

-:आज्ञा:-

विषय:- वर्दी की दरें निर्धारित करने बाबत ।


राज्य कर्मचारियों को वर्दी की दरों के सम्बन्ध में जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2012 एवं सहपठनीय आदेश दिनांक 22.06.2012 के अधिक्रमण में वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्दी की दरें निम्न प्रकार पुनर्निर्धारित की जाती हैं :-

क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1.	नर्स (नर्सिंग स्टॉफ)	₹ 1500/-	₹ 2250/-
2.	सचिवालय के जमादार	₹ 1500/-	₹ 2250/-
3.	अन्य विभागों के जमादार	₹ 1200/-	₹ 1800/-
4.	ड्राइवर	₹ 1200/-	₹ 1800/-
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	₹ 1100/-	₹ 1650/-
6.	महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	₹ 1300/-	₹ 1950/-
7.	तकनीकी कर्मचारी	₹ 1100/-	₹ 1650/-

वर्दी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अन्य दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी होंगे।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग के विभाग द्वारा आई०डी० नं० 131300116 दिनांक 30.03.2013 द्वारा प्रदान की गयी सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(चन्द्र मोहन मीणा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
3. उप सचिव (निजी सचिव), मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव/अति. निजी सचिव, जनस्त अति. मुख्य सचिव/प्रशासक/शासन सचिव/विशिष्ट शा० सचिव/उ०शा०स०।
5. महालेखाकार, राजस्थान-जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्षगण (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर सहित), राजस्थान।
8. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. उपनिदेशक, सार्वजनिक, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, सैलस्टैंक्स ट्रिब्यूनल, अजमेर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त मुख्य सचिव